फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री मगना बनाम **विपक्षी : श्री सवलाल व अन्य**

किस्म मुकदमा – 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **पत्रावली संख्या : 114/22**

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 16.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम पीथलुपरा पटवार हल्का पीथलुपरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या नया 44 आराजी न. 333 रकबा 2 बिघा 01 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 9 के नाम संपूर्ण हिस्से से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम पिथलपुरा पटवार हल्का पीथलपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या 139 की आराजी न. 338 रकबा 07 बिघा 06 बिस्वा आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम संपूर्ण हिस्से से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम पीथलुपरा पटवार हल्का पीथलुपरा तहसील कानोड जिला उदयपुर की खाता संख्या 119 आराजी न. 337/1 रकबा 02 बिघा 15 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 2 से 4 के नाम संपूर्ण हिस्से से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का पीथलपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या 65 की आराजी न. 337/2 रकबा 02 बिघा 16 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 5 से 8 के नाम संपूर्ण हिस्से से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 9 की खातेदारी की आराजी न. 333 पर आने जाने का रास्ता गांव पीथलुपरा से होता हुआ आराजी न. 322 रेकर्डेड रास्ता पर आता है। वहां से आराजी न. 322 से आराजी न. 338 के उत्तरी दिशा की जमीन पर पहूंचते है जो कि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी का खेत है। विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी खेत आराजी न. 338 के उत्तरी दिशा में 15 फीट चौडी जमीन पर रास्ता बना हुआ होकर वहां से पूर्व दिशा में चलते हुये आराजी न. 337/1 व आराजी न. 337/2 (जो आराजी न. 337 के भाग है) आते है जो कि विपक्षी संख्या 2 से 8 के खातेदारी खेत है। आराजी नं. 337/1 व आराजी नं. 337/2 के उत्तरी दिशा में 15 फिट चौडी जमीन पर रास्ता बना हुआ होकर पूर्व दिशा में चलते हुये आराजी नं. 333 पर पहूंचते है। यह रास्ता सदीप से कायम है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 9 द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में लिया जाकर निर्विघ्न शांतिपूर्वक आते जाते आ रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उसके खेत तक जाने का नहीं होना बताया जिससे प्रार्थी की खातेदारी आराजी न. 333 पर आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 338, 337/1, 337/2 में से 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:54:07 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा अनुसार कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा [illegible] पेश नहीं किया गया तथा अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड से बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई जिसमें तहसीलदार कानोड द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट पेश कर बताया कि राजस्व ग्राम पीथलपुरा तहसील कानोड में साबिक आराजी नं. 333 रकबा 02 बिघा 01 बिस्वा के हाल आराजी न. 753 रकबा 0.44 [illegible] है. भूमि राजस्व रेकर्ड में नाथू पुत्र हीरा हिस्सा 1/2, मगना पुत्र हिरा हिस्सा 1/2 [illegible] जाट सा. देह के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त साबिक आराजी नं. 333 के हाल आराजी न. [illegible] रकबा 0.4400 है. भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकर्ड अनुसार उपलब्ध नहीं है। [illegible] कि प्रार्थी अपनी आराजी पर आने–जाने हेतु साबिक आराजी न. 322 राजस्व रेकर्ड में [illegible] रास्ते से आगे साबिक आराजी न. 338, 337/1, 337/2 खातेदारी भूमि जो कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है. में से होकर आता है। उक्त साबिक आराजी न. 338, 337/1, 337/2 के हाल आराजी न. 761, 760, 759 बने जो कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी न. 753 पर आने जाने हेतु हाल आराजी न. 761, 760, 759 की उत्तरी पाली के सहाने 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लम्बी दुरी का है। राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु न्युन्तम दुरी का रास्ता ग्राम पीथलुपरा से सारंगपुरा मुख्य सड़क से आगे आराजी न. 804 रकबा 0.2200 है. भूमि में से है। प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ते की लम्बाई 154 मीटर है, जबकि न्युन्तम दुरी का रास्ता राजस्व रेकर्ड अनुसार आराजी न. 804 रकबा 0.2200 है. भूमि से है, जिसकी लम्बाई 84 मीटर है। आराजी न. 804 राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार श्री शंकरलाल पुत्र धनराज जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज रेकर्ड है जो प्रकरण में पक्षकारान नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता नहीं है। तहसीलदार कानोड द्वारा न्यूनतम दूरी वाला वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसे प्रार्थी द्वारा नहीं चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क में खातेदार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम दूरी वाला रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता नहीं है अन्य न्यूनतम दूरी वाला वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता नहीं होने से दिया जाना न्यायोचित नहीं है। [illegible] अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर [illegible] है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:54:07 IST
Reason: SelfAttested